I/पुनर्विलोकन/छतरपुर/भू-रा/2017/2205

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

रा0 अपील प्रकरण कमांक– सन् 2017

अभय कुमार तनय श्री प्रेमचन्द्र जैन
निवासी पुराना पन्ना नाका, छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 .....आवेदक

बनाम्

1. राजशेखर तनय स्व.श्री आत्माराम पाठक
2. अनुपम तनय स्व.श्री आत्माराम पाठक
3. श्रीमती देवेन्द्र कुमारी पत्नी स्व.श्री आत्माराम पाठक समस्त निवासीगण आत्माराम एण्ड संस भवन सागर रोड़ M.L.कालेज के पास छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0
4. मध्य–प्रदेश शासन .....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू–रा.सं. 1959 पुनर्विलोकन विरूद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 दिनांक 16.07.2015 जो निगरानी प्र0क0 2237/1(प्रथम)/15 में पारित किया गया।

महोदय,

आवेदक सादर निम्नांकित यह पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हैं :–

1. यह कि, भूमि खसरा नंबर 1809/1/2 रकवा 2.023 हेक्टेयर स्थित ग्राम देरी तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 का पट्टा शासन द्वारा वर्ष 1985 में मंगला अहिरवार तनय परमा अहिरवार ग्राम देरी तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 के नाम स्वीकृत किया गया था जिसकी मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि का नामांतरण अपंजीकृत बसीयतनामा के आधार पर मंगला के स्थान पर दीनदयाल, बुद्धप्रकाश तनय कढ़ोरा अहिरवार के नाम हुआ था।

2. यह कि, उक्त शासन से प्राप्त भूमि धारा 165(7–बी) म0प्र0भू0रा0

पेज.....2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक I / पुनर्विलोकन / छतरपुर / भू–रा0 / 2017 / 2205

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–8–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16–7–2015 की सत्यप्रतिलिपि प्रति का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहित्ता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शायी गयी है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (एस0एस0 अली) सदस्य	